

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग

लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषय:- प्रशिक्षण सत्र अगस्त/सितम्बर, 2018 से सामान्य एवं एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत संचालित किये जाने वाले 14 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 07 व्यवसायों की मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय व स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3120/तीन/वि-4/14 नये संस्थान/2018-19, दिनांक 31-07-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य एवं एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से तैयार हो गये 14 नये संस्थानों को प्रशिक्षण सत्र अगस्त/सितम्बर, 2018 से प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किये जाने के दृष्टिगत उनमें मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय एवं स्थापना हेतु श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 1645.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) मशीनें और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र का क्रय भण्डार क्रय नियमों तथा समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एवं एन0सी0वी0टी0 द्वारा अनुमोदित लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
- (2) मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्रों का क्रय मितव्ययता संबंधी अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) प्रधानाचार्य/निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता /पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (6) निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब मशीनें और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र आदि की क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (8) जिस मद में व्यय हेतु साज-सज्जा/मशीनें और संयंत्र हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है, उसी मद हेतु ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 2- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-203-रोजगार-16-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाला जायेगा।
- 3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4- मशीनों तथा साज-सज्जा /उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स और इस सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदित मानक सूची के अनुसार ही किया जायेगा। क्रय किये गये मशीनों तथा साज-सज्जा /उपकरणों की प्रमाणित सूची एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 10-03-2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही जो साज-सज्जा स्वीकृत की जा रही है , वह इन संस्थानों में पूर्व में स्वीकृत न किये जाने तथा उपलब्ध करायी जा रही साज-सज्जा संस्थानों को प्रथमबार दी जा रही है ओर वह अन्य संस्थानों में सरप्लस नहीं है का प्रमाण-पत्र धनराशि व्यय करने के पूर्व निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (द्वारा निदेशक)।
- 3- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 5- सम्बंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 6- वित्त(व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-11, वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 125, जवाहर, भवन, लखनऊ।
- 8- क्रय अनुभाग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम तथा जनपद	व्यवसाय का नाम		निदेशालय की संस्तुति के क्रम में स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1	सदर, औरैया	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	कोपा	25.00
		4	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		5	ड्रेस मेकिंग	15.00
		6	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		7	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
			कुल	130.00
2	ताखा, इटावा	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		5	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		6	प्लम्बर	15.00
		7	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
			कुल	115.00

3	सौरिख, छिबरामऊ, कन्नौज	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		4	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन	20.00
		5	प्लम्बर	15.00
		6	इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन	20.00
		7	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
4	सोरावं, इलाहाबाद	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	ड्रेस मेकिंग	15.00
		5	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		6	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		7	आई.सी.टी.एस.एम.	25.00
5	लालगंज, प्रतापगढ़	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	ड्रेस मेकिंग	15.00
		5	टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स	15.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		6	आई0ओ0टी0 (स्मार्ट एग्रीकल्चर)	25.00
		7	आई0ओ0टी0 (स्मार्ट सिटी)	25.00
		कुल		125.00
6	बांसडीह, बलिया	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	ड्रेस मेकिंग	15.00
		5	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		6	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		7	सरफेश ऑरनामेंटेशन टेक्निक	15.00
		कुल		105.00
7	महिला, कसया, कुशीनगर	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		5	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		6	ड्रेस मेकिंग	15.00
		7	कोपा	25.00
		कुल		115.00
8	राजातालाब, वाराणसी	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		3	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		4	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		5	प्लम्बर	15.00
		6	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		7	सीविंग टेक्नोलॉजी	10.00
			कुल	100.00
9	चिलवनिया, बस्ती	3	फिटर	15.00
		4	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		5	सर्वेयर	15.00
		6	पेन्टर (जनरल)	15.00
		7	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
		8	इन्सट्रूमेंट मैकेनिक	15.00
		9	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
			कुल	115.00
10	पटियाली, कासगंज	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		4	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
		5	सीविंग टेक्नोलॉजी	10.00
		6	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटियरल असिस्टेंट (हिन्दी)	15.00
		7	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			कुल	115.00
11	मिल्कीपुर, फैजाबाद	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		4	ड्रेस मेकिंग	15.00
		5	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
		6	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		7	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
			कुल	115.00
12	अफजलगढ़, बिजनौर	1	प्लम्बर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	ड्रेस मेकिंग	15.00
		4	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स एप्लायन्स	15.00
		5	पेन्टर (जनरल)	15.00
		6	आई.सी.टी.एस.एम.	25.00
		7	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00
			कुल	120.00
13	सरौली कदीम, सहारनपुर	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		4	फैशन डिजायन टेक्नोलॉजी	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		5	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटियरल असिस्टेंट (हिन्दी)	15.00
		6	ड्राफ्टस्मैन (सिविल)	25.00
		7	ड्राफ्टस्मैन (मैकेनिकल)	25.00
			कुल	130.00
14	शाहाबाद, हरदोई	1	फिटर	15.00
		2	इलेक्ट्रीशियन	20.00
		3	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन	20.00
		4	बेसिक कॉस्मेटोलॉजी	10.00
		5	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	15.00
		6	मल्टीमीडिया, एनिमेशन एण्ड स्पेशल इफैक्ट्स	25.00
		7	इन्टीरियर डिजायन एण्ड डेकोरेशन	25.00
			कुल	130.00
सम्पूर्ण योग				1645.00

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।